प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

यातायात माह - नवंबर 2026 का शुभारंभ

"यातायात नियमों का रखें ध्यान, तभी सुरक्षित रहेगा जीवन और जहान।"

दिनांक -01.11.26

आज दिनांक 01.11.2026 को महिला थाना के समीप आमजनमानस को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरुक करने व सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यातायात माह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सीतापुर महोदय डा0 राजागणपति आर0 एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी सीतापुर श्री आलोक सिंह द्वारा शिरकत की गयी तथा यातायात जागरुकता हेतु विभिन्न प्रमुख मार्गों और चौराहों पर घूमकर नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी देने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

सड़क सुरक्षा अभियान को जन-जन तक पहुँचाने के लिए **जिलाधिकारी महोदय** और **पुलिस अधिकारीगण** स्वयं सड़क पर उतरे। इस दौरान उन्होंने बिना हेलमेट के वाहन चला रहे चालकों को रोककर न केवल यातायात नियमों की महत्ता समझाई, बल्कि उन्हें अपने हाथों से **हेलमेट** भी वितरित किए। अधिकारियों ने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की।

यातायात माह के दौरान इन प्रमुख नियमों पर रहेगा विशेष जोर:

अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करें:-

- **दोपहिया वाहन चालक:** हमेशा अच्छी क्वालिटी का **ISI मार्क हेलमेट** पहनें, वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का प्रयोग न करें और तीन सवारी न बैठें।
- **चार पहिया वाहन चालक:** वाहन चलाते समय **सीट बेल्ट** का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।
- **गति सीमा (Speed Limit):** निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाएं और वाहन चलाते समय शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें।
- **दस्तावेज:** गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें।
- **नाबालिग वाहन चालन:** नाबालिग बच्चों को किसी भी स्थिति में वाहन चलाने के लिए न दें, यह कानूनन अपराध है।
- **सिग्नल लाइट का अनुपालन:** चौराहों पर लगी सिग्नल लाइट (लाल, पीली और हरी बत्ती) का कड़ाई से पालन करें। कभी भी रेड लाइट जंप न करें।

प्रशासन की ओर से यह संदेश दिया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए नागरिकों का जागरूक होना और नियमों का कड़ाई से पालन करना बेहद आवश्यक है। प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि **यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित चलें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें।** इस अवसर पर सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती नेहा त्रिपाठी, प्रभारी यातायात श्री यज्ञपाल वर्मा, प्रभारी महिला थाना व व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भगवती प्रसाद गुप्ता व अन्य गणमान्य मौजूद रहे।








आपकी सुरक्षा - हमारा दायित्व
यातायात माह
यातायात नियम अपनाइये -
हमारा उद्देश्य - सुरक्षित
यातायात प्रभारी(नगर)
सीतापुर
अपर पुलिस अधीक्षक(उ0)
सीतापुर







